# Form No. III

# फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**मैसर्स विनायक एजेन्सी जरिये प्रोपराईटर** **बनाम** **जिला रसद अधिकारी**

**कार्यवाही अन्तर्गत :–** **प्रार्थना–पत्र बाबत् न्यायालय आदेश की पालना**

| किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे.वि.)** | नं0 **047** | सन् **2017** |
|---|---|---|

| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **19.03.2024** | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पैरोकार सरकार हाजिर। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस रिपोर्ट को सुना गया। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन यिका गया कि श्री वेलुराम पिता मनजी मीणा निवासी विनायक नगर धरियावद रोड प्रतापगढ को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय चित्तौड़गढ़ के आदेश की पालना में जरिये बिल संख्या 202 दिनांक 05.01.2022 से तादादी रूपये 263906/– अक्षरे दो लाख तिरेसठ हजार नौ से छ रूपये मात्र श्री वेलुराम की मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी श्रीमती संतोष देवी को भुगतान किया जा चुका है, अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा भुगतान राशि प्राप्त किया जाना जाहिर किया गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस रिपोर्ट का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या दाण्डिक अपील संख्या 133/2015 निर्णय दिनांक 10.08.2016 की पालना में जिला रसद अधिकारी द्वारा भुगतान कर दिया गया है, जिसे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>सत्यमेव जयते<br>Web Copy - Not Official<br><br>-S/d-<br>(आलोक रंजन)<br>जिला कलक्टर,<br>चित्तौड़गढ़<br>19.03.2024 | |